क्रमांक 6080-4 जी0 एस0-II-71/33316

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

1. सभी विभागाध्यक्ष, आयुक्त अम्बाला मण्डल, सभी उपायुक्त तथा सभी उप मण्डल अधिकारी हरियाणा ।

2. रजिस्ट्रार, पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय तथा सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरियाणा ।

दिनांक चण्डीगढ़, 29 नवम्बर, 1971

विषय :––सिविल कर्मचारियों व अन्य व्यक्तियों को रियायतें जो कि आपातकाल में सैनिक सेवा में भर्ती हुए थे ।

महोदय,

मुझे निदेश हुआ है कि उपरोक्त विषय पर आपका ध्यान हरियाणा सरकार के परिपत्र क्रमांक 2391-4 जी एस0 II-71/13973, दिनांक 9-6-71 की ओर दिलाऊं जिसमें यह निर्दिष्ट किया था कि भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षि पदों को भरते समय हरियाणा लोक सेवा आयोग/अधीन सेवाएं प्रवरण मण्डल को मांग पत्र भेजने से पहले सम्बन्धित विभा ऐसे पदों की निर्धारित शिक्षा योग्यताओं के बारे में भूतपूर्व सैनिकों के विशेष रोजगार सैल से पूर्व परामर्श कर लिया करें

2. राज्य सरकार के नोटिस में यह आया है कि कुछ विभाग इन अनुदेशों की विधिवत पालना नहीं कर र हैं । अनुरोध किया जाता है कि भविष्य में यह प्रणाली सदैव अपनाई जावे और विभिन्न विभाग भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षि पदों को भरने के लिए लोक सेवा आयोग/अधीन सेवाएं प्रवरण मण्डल को मांग पत्र भेजने समय यह प्रमाणित किया व कि इस सम्बन्ध में विशेष रोजगार सैल से परामर्श कर लिया है । ऐसा न करने पर, लोक सेवा आयोग/अधीन सेवा प्रवरण मण्डल, जिस किसी को भी मांग पत्र भेजा गया हो द्वारा मांग पत्र मूल रूप में सम्बन्धित विभाग को वापिस दि जाएगा । इस सम्बन्ध में आवश्यक अनुदेश लोक सेवा आयोग/अधीन सेवाएं प्रवरण मण्डल को अलग से दिये जा रहे हैं

भवदीय,
हस्ता/-
उप सचिव, सामान्य प्रशास
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार

एक एक प्रति निम्नलिखित :––

वित्तायुक्त राजस्व, सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार ।